


250

126

पक्षकारों एवं
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा मण्डल
प्रकाश क्रमांक R. 1911-12



श्री राज कुमार तिवारी तनय स्व० श्री विष्णुदत्त तिवारी निवासी
ग्राम बैलडा तहसील रायपुर कर्णजिला रीवा मण्डल --- आवेदक

बनाम

श्री अंजनी कुमार तिवारी तनय विष्णुदत्त तिवारी ग्राम बैलडा
तहसील रायपुर कर्णजिला रीवा मण्डल

श्री हुटान पुत्री स्व० श्री विष्णुदत्त तिवारी निवासी ग्राम बैलडा
तहसील रायपुर कर्णजिला रीवा मण्डल --- अनागण

अधिवक्ता श्री अफिनाथ चव्हेदी
द्वारा प्रस्तुत
रीवा दिनांक 7.06.2012

Amul
7.6.12

निगरानी बिरस आजा श्री तहसीलदार
तहसील रायपुर कर्णजिला रीवा मण्डल
बावत् प्रकरण क्रमांक 20 अ 27/2011-2012
आदेश दिनांक 1.6.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भू-
राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया
के विपरीत है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक क्र० 1 के द्वारा
प्रस्तुत धारा 178/109, 110 की कार्यवाही अपैधानिक व अनियमित
है, जबकि धारा 178 मण्डल भू-राजस्व संहिता के विधान के अन्तर्गत
आवेदन मात्र प्रस्तुत करने का नियम निर्धारित है तथा धारा 178

निरन्तर 2पर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 81911-अ/12 जिला रीवा

सरोज कुमार तिवारी विरुद्ध अंजली कुमारी तिवारी

1	2	3
<p>16-1-19-</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अभिनाम चतुर्वेदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>रामपुर कच्छुलिमान</u> के प्रकरण क्रमांक <u>20/327/2011-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>01-06-2012</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28-03-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>